गिरधारीलाल — जिला कलेक्टर 9/2016

दिनांक	आज्ञा पत्र
21-6-2018	पत्रावली हुई वकुलाये फरीकैन उपस्थित। बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम हर्ष के ग्रामवासियों ने ग्राम पंचायत को आवेदन किया कि ग्राम में श्मशान के लिये भूमि आवंटित की जावे। ग्राम पंचायत हर्ष ने पंचायत की बैठक दिनांक 7-9-15 के प्रस्ताव सं0-2 के द्वारा चारागाह भूमि ख0नं0 101 रकबा 1.90 हैक्टर में से 0.25 हैक्टर भूमि को श्मशान भूमि के रूप में आवंटन किया जावे यह सिफारिश उप खण्ड अधिकारी सीकर को दिनांक 3-10-15 को [illegible] कार्यवाही

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	करते हुये तहसीलदार सीकर से मौके की रिपोर्ट मगवाई गई ।तहसीलदार ने मौके की रिपोर्ट तैयार कर चैक लिस्ट तैयार कर भिजवाई तथा उप खण्ड अधिकारी सीकर को ख0नं0 101 मे से 0-25 हैक्टर भूमि श्मशान हेतु आवंटन के लिये दिनांक 16-10-15 को भिजवादी इसके बाद उप खण्ड अधिकारी सीकर ने कार्यवाही करते हुये उक्त पत्रावली आंवटन की अभिशंषा हेतु जिला कलेक्टर सीकर को पत्रांक 267 दिनांक 27-10-2015 से भिजवा दी जिस पर विद्वान जिला कलेक्टर सीकर ने कार्यवाही करते हुये उक्त आराजी ख0नं0 101 में से 0.25 हैक्टर भूमि श्मशान हेतु ग्राम पचायत हर्ष को सुपुर्द किये जाने के आदेश दिये । जिसके विरूद्ध अपीलान्ट ने यह अपील पेश की ।	

अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत हर्ष को ख0नं0 1815/1312 में से 1.00 हैक्टर भूमि पहले ही श्मशान हेतु आवंटित की जा चुकी है। अब यह भूमि जो चारागाह में से आवंटित की गई है वो गलत है हर्ष गांव में पशुओं की संख्या के अनुसार चारागाह भूमि कम है। जो भूमि ख0नं0 101 रकबा 1.90 हैक्टर में से श्मशान के लिये आवंटित की गई है वह श्मशान के काम में नहीं आ रही है इस आराजी का आंवटन केवल राजनैतिक द्वेषता के कारण पडौसी काश्तकारों के खेतों में आवागमन के रास्ते को बन्द करने के लिये आंवटित करवाई है ।अदालत मातहत ने इस तथ्य पर कतई गौर नहीं किया कि ग्राम हर्ष में श्मशान हेतु पूर्व में ही 1.00 हैक्टर भूमि आंवटित है ।अदालत मातहत का निर्णय तथ्यों के विपरित है । अपील स्वीकार कर आंवटन आदेश को निरस्त किया जावे ।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस में कथन किया कि कि अपीलान्ट का विवादित आराजी से कोई हित प्रभावित नहीं है और यह अदालत मातहत मे पक्षकार नहीं इस कारण अपील धारा-96 सीपीसी के बिना पेश की है अतः सर्वप्रथम तो अपील धारा-96 सीपीसी के अभाव मे खारिज की जावे ।दूसरा मा0 जिला कलेक्टर

उप-खण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	सीकर ने यह आराजी ग्राम पंचायत हर्ष को श्मशान हेतु आंवटित की है जो ग्राम के सार्वजनिक काम में आने के लिये पंचायत के प्रस्ताव के बाद तहसीलदार की जांच के बाद आंवटित की गई है ।अदालत मातहत के आदेश में किसी प्रकार की कोई कानूनी भूल नहीं अपील खारिज की जावे । बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया ।विवादित आराजी ख0नं0 10। रकबा 1.90 हैक्टर राजकीय खातेदारी में गै0मु0 चारागाह की भूमि है जिस पर तहसीलदार ने पटवारी हल्का से रिपोर्ट लेकर सभी तथ्यों की जांच करते हुये 0.25 हैक्टर भूमि को श्मशानो के लिये आवंटन किये जाने की अभिस्वीकृति की है ।इसके बाद उप खण्ड अधिकारी सीकर ने भी उक्त आराजी को आंवटित किये जाने की सिफारिश की है ।सभी तथ्यों पर मनन करने एवं जांच करने के बाद माननीय जिला कलेक्टर सीकर ने आवंटन आदेश जारी किया है । जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं मानते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा विद्वान जिला कलेक्टर सीकर का निर्णय दिनांक 27-4-2016 यथावत रखा जाता है । निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 21-6-2018 को सुनाया गया । 21/6/18 भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर	